कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

क्रमांक : 80 दिनांक : 06.08.2026

संशोधित कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक Estt.(RJS)/107/2026 date- 06-08-26 के अनुसार श्रीमती ज्योति शर्मा की ड्यूटी दिनांक 08.08.26 से 12.08.2026 तक ट्रेनिंग इन्स्टीयूट, रेलमगरा में लगाए जाने से इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 79 दिनांक 27.07.2026 में आंशिक संशोधन किया जाकर माह अगस्त, 2026 में **दिनांक 08.08.2026 व 09.08.2026** के राजकीय अवकाश हेतु राजसमंद न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारी **श्रीमती ज्योति शर्मा,** अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के स्थान पर **श्रीमती शिवानी सोलंकी,** विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), नाथद्वारा को रिमांड ड्यूटी/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।

पूर्व का शेष आदेश यथावत रहेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

क्रमांक : स्था0/2026/578 दिनांक : 08.06.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत सूचित किया जावे।
4. इन्चार्ज, पुलिस कन्ट्रोल रूम, एस.पी. कार्यालय राजसमन्द को तुरन्त प्रसारित करने हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को ई–कोर्ट्स राजसमन्द वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द